कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

क्रमांक ::– प./लेखा/सफाई–ठेका/2014/ 22 दिनाँक ::– 25.1.14

:: निविदा सूचना ::

नवनिर्मित न्यायालय परिसर बीकानेर में वर्ष 2014–15 का सफाई ठेका एक वर्ष हेतु अनुभवी ठेकेदारों से करवाने के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क रूपये 200/– जमा करवाकर कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं एवं भरी हुई निविदाए दिनाँक 20.02.2014 को 03.00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त की जावेगी तथा दिनांक 20.2.2014 को सांय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जावेगी । अन्य शर्ते एवं जानकारी निविदा–प्रपत्र में अंकित हैं एवंम वेब पोर्टल पर देखी जा सकती हैं :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र बेचने की तिथि
1	सम्पूर्ण न्यायिक परिसर व अण्डरग्राउण्ड केण्टीन की साफ सफाई का कार्य (आवश्यक सामग्री सहित)	3.00 लाख	6000/–	15000/–	दिनां 20.2.2014 दोपहर 12.00 बजे तक

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर ।

क्रमांक ::– दिनांक ::– 25.1.14

प्रतिलिपि::– 57–61

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है ::–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान लोक उपानन नियम अनुसार उपरोक्त निविदा सूचना एवं सलंग्न शर्ते, विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करावें ।
2. निदेशक जन सम्पर्क निर्देशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान लोक उपानन नियम अनुसार उपरोक्त निविदा सूचना सामाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए वेब पोर्टल पर निविदा सूचना एवं सलंग्न शर्ते, प्रदर्शित कराने का कष्ट करावें ।
3. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बीकानेर
4. रोकडपाल/भण्डारपाल, जिला न्यायालय, बीकानेर ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर

–: निविदा भरने संबंधी निर्देश एवं कार्य सूची तथा शर्तें :–

वित्तीय वर्ष– 2014–2015

सफाई कार्य हेतु गैलरी, सीढ़िया, दरवाजे, छत तथा न्यायालय का सम्पूर्ण खुला परिसर, समस्त परिसर में स्थित शौचालय/यूरीनल्स न्यायालय ,अण्डरग्राउड,पार्किंग आदि,ड्रेनेज, सीवरज, मैन हॉल व दीवारों के जालों आदि की पूर्ण सफाई ।

: सफाई कार्य का विस्तृत विवरण :

अ. प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य :–

परिसर में स्थित शौचालयों व गैलरियों व खुले स्थान की सफाई व पोंछा ,परिसर मे स्थित सीढ़ियां व छत की सफाई ।

खुले परिसर ओवर हैड टेंक एवं पम्प हाउस के चारो की तरफ की सफाई , बरामदा, अण्डरग्राउंड, कैण्टीन छोटी व बड़ी आदि, निर्देशानुसार ।

ब. अन्य नियमित कार्य :–

1. गैलरी व कोरीडोर की सप्ताह में एक बार धुलाई , मैन हॉल सीवरेज लाईन की कम से कम माह में एक बार आवश्यक रूप से लेकिन चौक हो जाने पर तत्काल सफाई तथा उसी प्रकार से ड्रेनेज लाईन की सफाई।
2. सीवरेज ड्रेनेज की सफाई, टेंक खाली करना एवं गन्दगी हटाकर परिसर से बाहर नगर परिषद् द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निस्तारण करना , अण्डरग्राउण्ड वाहन पार्किंग सफाई कार्य साप्ताहिक
3. सम्पूर्ण सफाई कार्य पश्चात् कूड़ा करकट एवं कचरे को उचित स्थान पर जलाकर उसकी राख एवं अन्य कचरे को प्रतिदिन न्यायिक परिसर से बाहर उचित स्थान पर डालने तथा इस तरह एकत्रित कचरे को फिर सप्ताह मेंएक बार नगर के बाहर निर्दिष्ट स्थान पर डलवाना ।

स. सफाई सामग्री ::–

1. सफाई कार्यों में प्रयोग लाई जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जैसे बांस फूल झाड़ू, पोंछा, तरल साबुन, फिनाईल, एसिड, फिनाईल गोलियां, ब्रुश, बांस की पट्टियां तथा वाहन या रेडी इत्यादि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने खर्चे पर करनी होगी ।आधुनिक मशीनों से सुखा कचरा/रेत साफ करने वाली फर्मो को वरियता दी जावेगी ।
2. प्रयोग मे लाई जाने वाली सामग्री उच्च स्तर की होनी चाहिए । निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग में लाने पर ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

द. कार्य शर्तें :–

1. सम्पूर्ण न्यायिक परिसर पर सफाई कार्य रोजाना कार्यालय समय से पूर्व एवं निर्देशानुसार किया जावेगा ।
2. निविदा दाता अपनी निविदा में यह भी स्पष्ट उल्लेख करेगा कि कार्य पर न्यायिक परिसर के सफाई कार्य में कितने कितने आदमी कार्य पर रहेंगे ।
3. .सफाई कार्य राजकीय अवकाश के दिनों में भी सदैव की भांति नियमित रूप से कराना होगा ।
4. .-सफाई के दौरान ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि सुचारू रूप से सफाई कार्य करवाकर उसकी जानकारी प्रतिदिन संबंधित अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को देगा ।
5. -सफाई कार्य असंतुष्टि की दशा संबंधित अधिकारी अथवा नियुक्त प्रतिनिधि के चाहे जाने पर दुबारा कराना होगा जिसमें असफल होने पर कुल ठेका राशि की एक प्रतिशत राशि प्रतिदिन के हिसाब से काटी जावेगी । वैकल्पिक व्यवस्था कार्य करवाने पर आने वाले समस्त व्यय की भरपाई ठेकेदार के माहवारी बिल से अथवा सिक्योरिटी डिपोजिट से की जावेगी । विवाद की स्थति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर अथवा नियुक्त प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
6. संबंधित सफाई करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय परिसर की सफाई के बाद रोज डायरी में हस्ताक्षर करना होगा ।
7. . सहायक नाजिर स्वीकृत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का अपनी कार्य निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे
8. सफाई कार्य के नहीं किए जाने या संतोषजनक नहीं पाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर /नियुक्त प्रभारी अधिकारी 3–10 प्रतिशत तक विवेकानुसार ठेकेदार के बिल से वांछितकटौती करने के आदेश दे सकेगा ।
9. ठेकेदार स्वीकृत दर से बिल प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्रस्तुत करेगा । प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी / नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय परिसर व खुले परिसर की सीमा तय कर ठेकेदार को बताई जावेगी।

य. अन्य शर्तें :–

1. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदादाता को स्वीकृत ठेका राशि की 5 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में डी.डी./बैंकर चैक/नकद जमा करानी होगी तथा रूपये 500/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध करना होगा। ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
2. ठेका अवधि के मध्य में ही ठेकेदार ठेका छोड़ दिए जाने पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर/नियुक्त प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर लेवे । इस व्यवस्था में लगे अतिरिक्त व्यय की पूरी वसूली ठेकेदार के बिल या सिक्योरिटी से की जावेगी ।
3. यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार किया जावे । निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कारण बताए अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है । अन्य अच्चतर दर वाली निविदा भी स्वीकार की जा सकती है ।
4. कार्यावधि के दौरान सफाई कर्मचारी की किसी प्रकार की दुर्घटना बीमारी, दवा, ईलाज आदि का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा ।
5. निविदाकर्ता को श्रम विभाग से पंजीकृत होना चाहिए तथा सरकारी/सार्वजनिक उपकर्मां मे कम से कम 1 वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए, जिसके हेतु निविदाकर्ता को सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमां के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र भी निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा ।
6. श्रम विभाग में पंजीकृत का प्रमाण–पत्र भी निविदा फार्म के साथ सलग्न करना होगा ।
7. निविदादाताओ की तरफ से कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी ।
8. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य छोड़ने से तीन माह पूर्व सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/नियुक्त अधिकारी को सूचित करना होगा अन्यथा उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी ।

र. सफाई संबंधित टेण्डर भरने के सामान्य निर्देश :–

1. निविदाएं निविदा सूचना में दिए गए निर्देशानुसार यथोचित रूप से **(पृथक–पृथक तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिए** ।
2. अपूर्ण/अस्पष्ट निविदाएं प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जावेगी ।
3. दरें अंकों एवं शब्दों में साफ अंकित की जानी चाहिए ।
4. निविदा में कटिंग तथा अपलेखन नहीं होना चाहिए ।

5- **निविदा फाम में सफाई कर्मचारियों की संख्या एवंम मासिक दर राशि वहीं अंकन करें जो तर्क संगत/सम्भव हो अन्यथा समिति निविदा पर विचार नही किए जाने हेतु स्वतंत्र रहेगी ।**

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर